उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-01/ग्यारह-2-24-9(42)/17-टी.सी.68-उ0प्र0जी0एस0टी0नियम-2017-आदेश-(310)-2024

लखनऊ; दिनांकः 04 जनवरी, 2024

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, अर्थात् :-

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (बासठवां संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (बासठवां संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी। (2) इस नियमावली में अन्यथा उपबंधित के सिवाय यह दिनांक 1 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।
नियम 8 का संशोधन	2.	उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है) के नियम 8 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :-- "(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किये जाने का दायी है और धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति (जिसे इस अध्याय में आगे "आवेदक"कहा गया है) सिवाय– (i) कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति; (ii) कोई व्यक्ति, जिससे धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित है; (iii) कोई व्यक्ति, जिससे धारा 52 के अधीन कर का संग्रहण करना अपेक्षित है; (iv) कोई व्यक्ति, जो एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 13 सन् 2017) की धारा 14 में निर्दिष्ट गैर-कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को भारत के बाहर किसी स्थान से आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुन: प्राप्ति सेवाओं की पूर्ति कर रहा है या कोई व्यक्ति, जो

		धारा 14क में निर्दिष्ट व्यक्ति को भारत के बाहर किसी स्थान से आनलाइन मनी गेमिंग की पूर्ति कर रहा है, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने से पूर्व सामान्य पोर्टल पर प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से अपने स्थायी लेखा संख्या, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 के भाग क में घोषणा करेगा : परंतु यह कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो इनपुट सेवा वितरक है ऐसे इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पृथक् आवेदन करेगा।"
नियम 14 का संशोधन	3.	उक्त नियमावली में, नियम 14 में,-- (i) शीर्ष में शब्द "आनलाइन प्रासिकर्ता" के पश्चात् अक्षर और शब्द "या भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को आनलाइन मनी गेमिंग की पूर्ति करने वाले व्यक्ति को" बढ़ा दिये जाएंगे ; (ii) उपनियम (1) में, शब्द "आनलाइन प्रासिकर्ता" के पश्चात् अक्षर और शब्द "या भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को आनलाइन मनी गेमिंग की पूर्ति करने वाले व्यक्ति को" बढ़ा दिये जाएंगे।
नियम 31क का संशोधन	4.	उक्त नियमावली में नियम 31क के पश्चात् निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-- "**31ख. आनलाइन गेमिंग, जिसके अंतर्गत ऑनलाइन मनी गेमिंग सम्मिलित है, की दशा में पूर्ति का मूल्य**--इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी आनलाइन गेमिंग की पूर्ति का मूल्य, जिसके अंतर्गत ऑनलाइन मनी गेमिंग में अंतर्वलित अनुयोज्य दावों की पूर्ति सम्मिलित है, धन या धन का मूल्य, जिसके अंतर्गत वर्चुअल डिजीटल आस्तियां सम्मिलित हैं, के माध्यम से खिलाड़ी द्वारा या उसके निमित्त पूर्तिकर्ता कुल संदत्त रकम या संदेय या पूर्तिकर्ता के पास जमा कुल धनराशि होगी: परंतु यह कि पूर्तिकर्ता द्वारा खिलाड़ी को चाहे किसी भी कारण से, जिसके अंतर्गत खिलाड़ी द्वारा पूर्तिकर्ता को संदत्त धनराशि या पूर्तिकर्ता के पास जमा रकम का किसी घटना में भाग लेने के लिए उपयोग न करना सम्मिलित है, वापस की गई कोई रकम की आनलाइन मनी गेमिंग की पूर्ति के मूल्य से कटौती नहीं की जाएगी। **31ग. कैसिनो की दशा में अनुयोज्य दावों की पूर्ति का मूल्य**--इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कैसिनो में अनुयोज्य दावों की पूर्ति का मूल्य निम्नलिखित के लिए खिलाड़ी द्वारा या उसके निमित्त संदत्त या संदेयकुल धनराशि होगी--

		(i) कैसिनो में उपयोग के लिए टोकन, चिप, सिक्कों या टिकट, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, का क्रय ; (ii) कैसिनो में किसी घटना में भाग लेना, जिसके अंतर्गत गेम, स्कीम, प्रतियोगिता या कोई अन्य कार्यकलाप या प्रक्रिया, जिसमें टोकन, चिप, सिक्कों या टिकट, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, का क्रय करना अपेक्षित नहीं है : परंतु यह कि कैसिनो द्वारा खिलाड़ी को, टोकन, चिप, सिक्कों या टिकट की वापसी, जैसी स्थति हो, के लिए वापस या प्रतिदाय की गई किसी रकम की कैसिनो में अनुयोज्य दावों की पूर्ति के मूल्य से कटौती नहीं की जाएगी। स्पष्टीकरण–नियम 31ख और नियम 31ग के प्रयोजन के लिए किसी घटना, जिसके अंतर्गत गेम, स्कीम, प्रतियोगिता या कोई अन्य कार्यकलाप या प्रक्रिया सम्मिलित है, को जीतने के द्वारा खिलाड़ी द्वारा प्राप्त की गई किसी रकम को, जिसका प्रतिसंहरण किए बिना उक्त खिलाड़ी द्वारा किसी और घटना में प्रयोग किया जाता है, उक्त खिलाड़ी द्वारा या उसके निमित्त पूर्तिकर्ता को संदत्त रकम या उसके पास जमा रकम नहीं माना जाएगा ।"
नियम 46 का संशोधन	5.	उक्त नियमावली के नियम 46 के खंड (च) में, परंतुक में, शब्द "परंतु यह कि" के पश्चात्, शब्द "आनलाइन मनी गेमिंग की पूर्ति को अंतर्वलित करने वाले मामलों में या ऐसे मामलों में" बढ़ा दिये जाएंगे ।
नियम 64 का संशोधन	6.	उक्त नियमावली में नियम 64 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :-- "64. आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुन: प्राप्ति सेवाओं का उपबंध करने वाले व्यक्तियों और भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को आनलाइन मनी गेमिंग की पूर्ति करने वाले व्यक्तियों द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति–प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो या तो भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को आनलाइन मनी गेमिंग का उपबंध कर रहा हैया भारत से बाहर किसी स्थान से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 13 सन् 2017) की धारा 14 में निर्दिष्ट गैर-कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को या गैर-कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता से भिन्न किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुन: प्राप्ति सेवाओं का उपबंध कर रहा है, पश्चातवर्ती कलैंडर मास या उसके भाग के बीसवें दिन को या उससे पूर्व प्ररूप जीएसटीआर-5क में विवरणी

<table>
<tr><td></td><td></td><td>फाइल करेगा।"</td></tr>
<tr><td>नियम 87 का संशोधन</td><td>7.</td><td>उक्त नियमावली में, नियम 87 में, उपनियम (3) के दूसरे परंतुक में, शब्द "वाला व्यक्ति" के स्थान पर, शब्द, अंक और अक्षर "वाला व्यक्तिया धारा 14क में यथानिर्दिष्ट भारत में किसी व्यक्ति को भारत से बाहर किसी स्थान से आनलाइन मनी गेमिंग की पूर्ति करने वाला कोई व्यक्ति," रख दिये जायेंगे।</td></tr>
<tr><td>प्ररूप जीएसटी आरईजी-10</td><td>8.</td><td>उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-10 में,--

(i) शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष रख दिया जाएगा, अर्थात् :--

"भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को आनलाइन मनी गेमिंग की पूर्ति करने वाले व्यक्ति या भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में गैर-कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुन: प्राप्ति सेवाओं की पूर्ति करने वाले व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन।";

<table>
<tr><td>"(iiक)</td><td>पूर्ति की किस्म</td><td>(क) आनलाइन मनी गेमिंग की पूर्ति
(ख) आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुन: प्राप्ति सेवाएं
(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) दोनों"</td></tr>
</table>

(ii) भाग क में सारणी में, क्रम सं. (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रख दी जाएंगी, अर्थात् :--

(iii) सारणी के भाग ख में,--

(क) क्रम सं. 2 और क्रम सं. 3 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रख दी जाएगी, अर्थात् :-

<table>
<tr><td>"2.</td><td>भारत में आनलाइन सेवा या आनलाइन मनी गेमिंग प्रारंभ करने की तारीख</td><td>दिन/मास/वर्ष</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

3.	वेबसाइट/प्लेटफार्म/आवेदक का नाम आदि, जैसा लागू हो, का यूनीफार्म रिसोर्स लोकेटर्स (यूआरएल)जिसके माध्यम से ऑनलाइन मनी गेमिंग या ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाएं प्रदान की जाती हैं: 1. 2. 3. "

(ख) क्रम संख्या 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ रखा दी जाएंगी, अर्थात्:-

"7	घोषणा मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा और घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मैं, _......................घोषणा करता/करती हूँ कि मैं रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूँ। मैं कर योग्य राज्यक्षेत्र में स्थित गैर-कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता (ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाओं के मामले में) से और/या कर योग्य राज्यक्षेत्र में स्थित प्राप्तिकर्ता से (ऑनलाइन मनी गेमिंग के मामालों में) दायी कर को भारित और संग्रह् करुंगा और इसे भारत सरकार के पास जमा करुंगा। स्थान — हस्ताक्षर तारीख — प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पदनाम:

(iv) अनुदेश में, मद 2 में, शब्द और अंक "धारा 14" के पश्चात्, शब्द और अंक "या धारा 14क, जैसी भी स्थिति हो," रख दिये जाएंगे।

प्ररूप जीएसटीआर-5क	9.	उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटीआर-5क, के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप जीएसटीआर-5क

[नियम 64 देखें]

भारत के बाहर स्थित व्यक्ति द्वारा गैर कराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता (जैसा कि एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में परिभाषित है) और भारत में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाओं की पूर्ति का ब्यौरा और भारत से बाहर स्थित व्यक्ति द्वारा भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन मनी गेमिंग की पूर्ति का ब्यौरा

1. पूर्तिकर्ता का जीएसटीआईएन-
2. (क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम-
   (ख) व्यापार नाम, यदि कोई हो-

3. भारत में विवरणी फाइल करने वाले प्राधिकृत अभिकर्ता का नाम-

4. अवधि:..................मास......................वर्ष

4(क) एआरएन:

4(ख) एआरएन की तारीख:

5. भारत में गैर कराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता को ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाओं की कर योग्य जावक पूर्तियाँ

(रकम, रुपए में)

पूर्ति का स्थान (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)	कर की दर	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5

5क. भारत में गैर कराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता को ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाओं की कर योग्य जावक पूर्तियों में संशोधन

(रकम, रुपए में)

मास	पूर्ति का स्थान (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)	कर की दर	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6

5ख. गैर कराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता के अतिरिक्त भारत में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाओं की कर योग्य जावक पूर्तियाँ, जिस पर उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान किया जाता है

(रकम रुपए में)

जीएसटीआईएन	कराधेय मूल्य
1	2

5(ग) गैर कराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता के अतिरिक्त भारत में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनर्प्राप्ति सेवाओं की कर योग्य जावक पूर्तियों, जिस पर दिया गया कर रिवर्स चार्ज के आधार पर उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, में संशोधन

(रकम, रुपए में)

मास	मूल जीएसटीआईएन	संशोधित जीएसटीआईएन	कराधेय रकम
1	2	3	4

5(घ) भारत में व्यक्ति को किए गए ऑनलाइन मनी गेमिंग की पूर्तियाँ

(रकम, रुपए में)

पूर्ति का स्थान (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)	कर की दर	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5

5(ङ.) भारत में व्यक्ति को किए गए ऑनलाइन मनी गेमिंग की पूर्तियों में संशोधन

(रकम, रुपए में)

मास	पूर्ति का स्थान (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)	कर की दर	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6

6. ब्याज, या किसी अन्य रकम की गणना

(रकम, रुपए में)

क्रम. संख्या	विवरण	पूर्ति का स्थान (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)	शोध्य रकम (ब्याज/अन्य)	
			एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5
1.	ब्याज			
2.	अन्य			
	कुल			

7. कर, ब्याज और अन्य संदाय और संदत्त रकम

(रकम, रुपए में)

क्रम. संख्या	विवरण	संदेय रकम		विकलन प्रविष्टि संख्या	संदत्त रकम	
		एकीकृत कर	उपकर		एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7
1.	कर दायित्व (सारणी 5, 5क, 5घ और 5ड.)					
2.	ब्याज (सारणी 6 पर अधारित)					
3.	अन्य (सारणी 6 पर अधारित)					

सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा और घोषण। करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

स्थान हस्ताक्षर

तारीख प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

पदनाम/प्रास्थिति"

आज्ञा से,

5/1/24

(नितिन रमेश गोकर्ण)

अपर मुख्य सचिव